न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–235/2012

CIS NO. TS-187/2018

मनोरमा देवी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मृतक रमेश प्रसार के विधिक वारिसान.....प्रतिवादी

DATE	ORDER	REMARKS
12.05.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगण की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 15.04.2023 को दिये गये आवेदन के आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 15.04.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य बेतिया के सीनियर अधिवक्ता के यहाँ फाईल में रह गया था। जिसके कारण भूलवश इस वाद में दाखिल नही हो सका है तथा प्रदर्श भी अंकित नही हो सका है। आवेदन में वर्णित दस्तावेजों का अभिलेख पर आना एवं प्रदर्श होना उचित नियर्णन हेतु अति आवश्यक है अन्यथा वादीगण उचित न्याय से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगें। अतः श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज को न्यायहित में अभिलेख पर रखते हुये सुनवाई कर प्रदर्श अंकित करने की कृपा करे। प्रतिवादी की ओर से वादीगण के द्वारा दाखिल आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 20.04.2023 को दाखिल किया गया तथा कहा गया कि प्रस्तुत वाद को वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्ण बहस सुनाने के बाद दिनांक 06.04.2023 को निर्णय हेतु दिनांक 17.04.2023 को निश्चित किया गया। यह वाद दिनांक 16.05.2017 से बहस हेतु निश्चित था। जब वाद निर्णय हेतु निश्चित कर दिया गया तो वाद के निष्पादन को अवरूद्ध करने के लिए यह आवेदन दाखिल किया गया है। वादीगण जिन दस्तावेजों को प्रदर्श करना चाहते है। उनकी सुसंगतता इस वाद में नही है। सिर्फ प्रतिवादी को हैरान तथा परेशान करने के नियत से तथा न्यायालय का बहुमूल्य समय बर्बाद करने हेतु यह आवेदन दाखिल किया गया है जो खारिज योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादीगण का आवेदन दिनांक 15.04.2023 को	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–235/2012

CIS NO. TS-187/2018

लगातार 12.05.2023	खर्चा के साथ खारिज करने की कृपा करें। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि उक्त अभिलेख दिनांक 17.04.2023 को निर्णय हेतु नियत था। दिनांक 15.04.2023 को वादीगण की ओर से उक्त आवेदन दाखिल कर बंटवारा वाद सं0–17/1953 का निर्णय तथा डिक्री की सच्ची प्रति तथा भूहदबंदी वाद सं0–41/1973–74 बिहार सरकार बनाम बालदेव प्रसाद में दिये आवेदन दिनांक 21.08.2006 की सच्ची प्रति एवं लीज एकरारनामा अजय प्रसाद बनाम समसाद दिनांक 23.12.2013 की मूल प्रति दाखिल कर प्रदर्श अंकित कराने का निवेदन किया। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का अंतिम रूप से न्याय निर्णयन किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है परंतु प्रस्तुत वाद दिनांक 02.05.2017 से बहस हेतु चल रहा है। अर्थात करीब 6 वर्षो से अभिलेख बहस हेतु नियत है। अगर वादीगण सर्तकता बरतते तो उक्त दस्तावेज पूर्व में ही दाखिल करके प्रदर्श अंकित करा सकते थे। अतः वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन को मो0–3000/–(तीन हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा पीठ लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करे तथा वादीगण को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तिथि को बहस हेतु तैयार आवें। आगामी दिनांक 22.05.2023 वास्ते बहस हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	